



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U. P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

संख्या:-5626-अ0प्र0-07/पा0का0लि0/13-28-अ0प्र0-07/09

दिनांक: 20.12.2013

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञाप सं0-34-काविनी/पाकालि/29-2000, दिनांक: 02 फरवरी 2000 में की गई व्यवस्था के अन्तर्गत परिषदादेश सं0-965-पी/राविप-30-4पी/86, दिनांक: 19.06.1989, सं0-1598-पी/राविप-30-4पी/86, दिनांक: 21.08.1989 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अधोनामित प्रोन्नत सहायक अभियन्ता जिन्होंने कारपोरेशन के आदेश सं0-1060-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2008-4(6)20पी/86(टी0सी0), दिनांक: 07.10.2008 में निहित प्राविधानों के अनुसार अपने सीधी भर्ती (अवर अभियन्ता) के संवर्ग के तीनों समयबद्ध वेतनमान दिए जाने हेतु विकल्प पत्र प्रस्तुत किए हैं, को अवर अभियन्ता पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की तिथि से गणना करते हुए 19 वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि जो बाद में हो, से कारपोरेशन आदेश सं0-835-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/11, दिनांक: 08.09.2011 के अन्तर्गत तृतीय समयबद्ध वेतनमान अगले उच्चतर समयबद्ध वेतनमान के रूप में एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

(क) तृतीय समयबद्ध वेतनमान

क्र0सं0	सहायक अभियन्ता का नाम	अभिज्ञान सं0	तृतीय समयबद्ध वेतनमान की देय तिथि	टिप्पणी
1	राजेश सुमन	2004157	11.10.2008	देय तिथि से

उपरोक्त अधिकारी को यह विकल्प होगा कि वे उक्त समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत करने की तिथि अथवा उसके बाद की वार्षिक बढ़ोत्तरी की तिथि से ले सकते हैं। अतः तदनुसार वे अपना विकल्प पत्र दिनांक: 30.06.2013 तक भर कर लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) को प्रस्तुत करेंगे।

2. अधोनामित अभियन्ता अधिकारियों को तृतीय समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत करने हेतु अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में उनके नाम के सम्मुख अवधि की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ प्राप्त होने/अंकित प्रतिबन्ध पूर्ण होने के उपरान्त विचार किया जाएगा :-

क्र0सं0	सहायक अभियन्ता का नाम	अभिज्ञान सं0	तृतीय समयबद्ध वेतनमान की देय तिथि	टिप्पणी
1	स्व0 सुरेश प्रसाद	2001060	4.02.2004	दि0 01.04.2000 से 28.02.2001 तक की वा0गो0आ0 सन्तोषजनक एवं सत्यनिष्ठा प्रमाणित होने के प्रतिबन्ध सहित देय तिथि से
2	फसाहत अली	2012220	15.12.2006	दि0 01.04.2005 से 31.03.2006 तक की वा0गो0आ0 सन्तोषजनक एवं सत्यनिष्ठा प्रमाणित होने के प्रतिबन्ध सहित देय तिथि से
3	संत लाल	2003128	26.10.2008	दि0 01.04.2004 से 31.03.2005 तक की वा0गो0आ0 सन्तोषजनक एवं सत्यनिष्ठा प्रमाणित होने के प्रतिबन्ध सहित देय तिथि से
4	मुकेश त्यागी	2003135	20.10.2008	दि0 01.04.2004 से 22.09.2005 तक की वा0गो0आ0 सन्तोषजनक एवं सत्यनिष्ठा प्रमाणित होने के प्रतिबन्ध सहित देय तिथि से

3. अधोनामित अधिकारियों को तृतीय समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में आगामी बैठक में विचार किया जाएगा :-

क्र० सं०	सहायक अभियन्ता का नाम सर्वश्री	अभिज्ञान सं०	टिप्पणी
1	राज देव राम यादव	2010005	द्वितीय समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत नहीं
2	अनिल कुमार पाण्डेय	2012080	द्वितीय समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत नहीं
3	ऋषि पाल सिंह	2001201	द्वितीय समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत नहीं
4	बी०के० शर्मा	2010263	द्वितीय समयबद्ध वेतनमान का प्रति० समाप्त नहीं
5	मोहन सिंह	2002184	द्वितीय समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत नहीं
6	चतर सिंह	2004161	द्वितीय समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत नहीं
7	गुरु चरन लाल भटनागर	2001103	द्वितीय समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत नहीं
8	शिव प्रकाश आजाद	2005278	द्वितीय समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत नहीं
9	रविन्द्र प्रकाश	2005446	द्वितीय समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत नहीं
10	गोविन्द प्रसाद	2005266	अर्ह नहीं

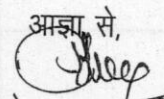
प्रबन्ध निदेशक

संख्या:-5626-(1)-अ०प्र०-07/पाकालि/2013, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
- 2 मुख्य अभियन्ता (पारिषण) उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 3 मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 4 समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ०प्र० पा०का०लि०।
- 5 समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पा०का०लि०।
- 6 उप सचिव (अ०प्र०-02बी/03/04), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7 अधिशाषी अभियन्ता (वेब) कक्ष सं० 407, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8 लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस अवधि में देय है उन्हें समयबद्ध वेतनमान का लाभ (अपुनरीक्षित वेतनमान में) उनसे सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही दें एवं उन्हें वर्तमान संवर्ग में यदि कोई समतुल्य समयबद्ध वेतनमान पूर्व में स्वीकृत किया गया हो तो उसे निरस्त मानते हुए तदनुसार पूर्व में अधिक आहरित धनराशि का समायोजन अपने स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करें।
- 9 अनुभाग अधिकारी, अ०प्र०-02बी/03/04 अनुभाग, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को सम्बन्धित की वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
- 10 सम्बन्धित अधिकारी।
- 11 कट फाइल/गार्ड फाइल।



आज्ञा से,

(सुबोध कुमार शर्मा)
उपसचिव